न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :— श्री अमीलाल यादव आर.ए.एस

नम्बर मुकदमा :— 59/24

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू, राजस्थान

............वादी

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र बालुराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू
2. डाली पुत्री बालुराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चुरु
3. पुसी पुत्री बालुराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चुरु
4. बादु देवी पत्नी बालुराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चुरू
5. भरतलाल पुत्र बालुराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चुरू
6. भंवरलाल पुत्र बालुराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चुरू
7. मुन्नी पुत्री बालुराम जाति नायक निवासी साण्ड़वा तहसील बीदासर जिला चुरु
8. लिछमा पुत्री बालुराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चुरु
9. शिवलाल पुत्र बालुराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चुरु
10. सुमेर पुत्र बालुराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चुरु
11. हड़मान पुत्र बालुराम जाति नायक निवासी साण्डवा तहसील बीदासर जिला चुरु

..............प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— 1. पेरोकार राज

—: निर्णय :—

दिनांक :– 26-6-25

प्रस्तुत वाद–पत्र के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर की ओर से एक वाद–पत्र इस आशय का पेश किया है कि खसरा संख्या 1789/890 तादादी 3.8445 हेक्टेयर तथा खसरा संख्या 368 तादादी 2.5546 हैक्टेयर किश्म बारानी दोयम राजस्व ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। उक्त भूमि कृषि प्रयोजनार्थ है। उक्त भूमि वर्तमान मे राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादीगण 01 ता 11 की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है जिसकी नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी सलंग्न है। उक्त कृषि भूमि पर आवासीय मकानात

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

बनाकर अकृषि उपयोग लिया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से खातेदारान को कृषि भूमि में कृषि कार्य करने का अधिकार ही है।
भूमि कृषि भूमि है जिस पर अवैध रूप से आबादी बसी हुई है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि का बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा
के स्वरूप परिवर्तन किया गया है। प्रस्तुत वाद पत्र की सूनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान के न्यायालय को प्राप्त है। वाद पत्र राज्य सरकार की
ओर से प्रस्तुत होने से सभी प्रकार के शुल्क से मुक्त है। वाद पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत है। वाद का कारण कृषि भूमि का आवासीय उपयोग
होने के कारण उत्पन्न हुआ है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा खातेदारी कृषि भूमि का कृषि से भिन्न अकृषि
उपयोग मौके पर किया जा रहा है इसलिए प्रतिवादीगण की भूमि खसरा संख्या 1789/890 तादादी 3.8445 हेक्टेयर तथा खसरा संख्या 366
तादादी 2.5546 हैक्टेयर किश्म बारानी दोयम राजस्व ग्राम साण्डवा के खातेदारी समाप्त कर राजकीय दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जावे। आदि आदि अंकित कर वाद–पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वाद–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 को विधिवत सूचना भिजवाई जाने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ प्रकरण में इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली में वर्णित तथ्य व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादगत भूमि वर्तमान में प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 के नाम से खातेदारी में दर्ज है। तहसीलदार बीदासर के अनुसार वादगत भूमि खसरा संख्या 1789/890 तादादी 3.8445 हेक्टेयर तथा खसरा संख्या 366 तादादी 2.5546 हैक्टेयर किश्म बारानी दोयम राजस्व ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू का खिलाफ कानून व विधि के विरूद्ध आवासीय मकानात आदि बनाकर अकृषि उपयोग किया जा रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन किया है। लैण्ड हॉल्डर व खातेदार के बीच हुए अनुबंध का भी उल्लंघन किया है। कृषि भूमि का उपयोग अकृषि में किये जाने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। यदि किसी भूमि का लैण्ड हॉल्डर की सक्षम अनुमति के बिना अकृषि कार्य किया जाता है तो लैण्ड हॉल्डर व कृषक के बीच हुए अनुबंध का उल्लंघन माना जाता है।

–:आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 की खातेदारी के खसरा संख्या 1789/890 तादादी 3.8445 हेक्टेयर तथा खसरा संख्या 366 तादादी 2.5546 हैक्टेयर किश्म बारानी दोयम राजस्व ग्राम साण्डवा तहसील बीदासर जिला चूरू से प्रतिवादीगण को बेदखल कर सिवायचक घोषित किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 26-6-2015 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर